# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

**(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)**

**क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 11/2016/भीलवाड़ा(2016/00133)**

श्री हरलाल बंजारा पुत्र श्री मन्नालाल बंजारा, निवासी ग्राम जलेरी थाना बिजोलिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा।

**अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

**प्रत्यर्थी**

**अपील अन्तर्गत नियम 18 आयुद्य अधिनियम 1959**
**विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा**
**आदेश क्रमांक न्याय/आर्म्स/आदेश/2016/22166 दिंनाक 22–1–2016**

———

उपस्थितः 1– श्री गिरीश पारीक अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

## निर्णय

दिनांक : 28–3–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी बंजारो की जलेरी तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा का निवासी है अपीलार्थी के हक में आत्म सुरक्षार्थ दिनांक 27–4–1988 को एक 12 बोर बन्दूक दो नाले नम्बर डी.बी.बी.एल 13759/83 का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बी.एच.एन./46/88 उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ द्वारा जारी किया गया जो कि दिनांक 31–12–2014 तक नवीनीकृत था। अपलार्थी द्वारा आगामी अवधि 1–1–2015 से 1–1–2017 तक नवीनीकरण करने हेतु प्रत्यर्थी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 23–01–2015 में अपीलर्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 68/89 धारा 379, आई.पी.सी. एवं 4/24 एम. एम.आर.डी. एक्ट दर्ज था जो माननीय सिविल न्यायाधीश (क.ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग बिजोलिया द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23–3–98 द्वारा अपीलार्थी को सन्देह का लाभ देकर बरी कर दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किया जाना अनुचित बताया। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 46/88 दिनांक 22–1–2016 को निरस्त कर दिया। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 22–1–2016 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश की अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं हुई। अपीलार्थी के घर जब दिनांक 2–2–2016 को पुलिस थाना बिजोलिया से पुलिसकर्मी आया और अपीलार्थी को बन्दूक जमा कराने हेतु कहा तब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 3–2–2016 को थाने जाकर 12 बोर बन्दूक जमा करवा दी और अमानतन हथियार रसीद प्राप्त की तब जिला कलक्टर भीलवाड़ के आदेश दिनांक 22–1–2016 की जानकारी हुई। उक्त आदेश पर विधिक सलाह प्राप्त कर फीस आदि का प्रबन्ध कर दिनांक 31–3–2016 को अजमेर आकर बिना विलम्ब के जानकारी दिनांक से अपील तैयार करवाकर अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये केवल मात्र कार्यालय फाईल पर कार्यवाही कर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है जिसमें अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित आदेश अवैधानिक आदेश की परिभाषा में आता है। जिला कलक्टर

एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा आयुद्ध अधिनियम की धारा 17 (1) के आदेशात्मक विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–1–2016 नोन स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में आता है। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने पारित आदेश में किसी भी समुचित विधिक कारण का उल्लेख नहीं कर शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है जो विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का सरसरी तौर पर बिना अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों को दरकिनार कर आदेश पारित किया है। अपलार्थी द्वारा कभी भी शस्त्र अनुज्ञा पत्र के द्वारा पब्लिक सुरक्षा एवं शांति भंग करने का कोई कृत्य नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–1–2016 को निरस्त किया जाकर अपलार्थी के पक्ष में जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 46/88 को बहाल कर नवीनीकरण किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा की रिपोर्ट पत्र क्रमांक 1740 दिनांक 23–1–2015 में अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में मु0न0 68/89 धारा 379, आईपीसी, 4/21 एमएमआरडी एक्ट में दर्ज होकर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23–3–1998 को बरी किया जा चुका है। अपीलार्थी के विरूद्ध चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध होकर चालान हुआ है। ऐसी स्थिति में अपलार्थी का अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जाना अनुचित बताया है। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर एवं चोरी का प्रकरण दर्ज होने को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं माना है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 22–1–2016 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को जारी नोटिस तामील

ही नहीं हुआ तथा वर्तमान में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई चोरी का मुकदमा लम्बित नहीं है।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की रिपोर्ट क्रमांक 1740 दिनांक 23–1–2015 में अंकितानुसार अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 68/89 धारा 379, आई.पी.सी, 4/21 एम.एम.आर.डी एक्ट में दर्ज किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23–3–1998 को दोषमुक्त किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरूद्ध चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध हो चालान हुआ है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के विरूद्ध शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जाना अनुचित बताया है। अपीलार्थी का बहस के दौरान यह कथन कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया गलत है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को 7–9–2015 एवं 16–11–2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे। पत्रावली के अवलोकन से एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह परिलक्षित नहीं होता है कि अपीलार्थी को किसी भी प्रकार का जान व माल का कभी खतरा हुआ हो एवं किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता हो।

जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपने आदेश क्रमांक 22166 दिनांक 22–1–2016 द्वारा लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एवं अपीलार्थी को किसी प्रकार से जानमाल का खतरा नहीं होने के आधार पर अपीलार्थी के नाम 12 बोर डबल बेरल गन नम्बर 13759–83 का आर्म्स अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/46/88 निरस्त कर पुलिस थाना बिजोलिया में जमा कराने का आदेश पारित किया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,) भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/आदेश/2016/22166 दिनांक 22–01–2016 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर